मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय,

क्र.– 4132/प्रस/मबावि/2016–17/ भोपाल, दिनांक 28/12/2016

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला समस्त मध्यप्रदेश.
2. संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक, महिला सशक्तिकरण संभाग–समस्त म.प्र.
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी , जिला–समस्त म.प्र.
4. परियोजना अधिकारी/खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी परियोजना–समस्त.

विषयः– संस्थागत (चिकित्सालय) प्रसव/जन्म पर ही पात्र बालिका को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिये जाने हेतु "लाडली हेल्प–डेस्क" की स्थापना विषयक।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन,महिला बाल विकास का पत्र क0 एफ/म.स./ 2016/1913 दिनांक 25.10.2016

लाडली लक्ष्मी योजना में बालिका के जन्म से एक वर्ष के अंदर बालिका को पंजीकृत किया जाकर योजना का लाभ दिया जा रहा है । लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत बालिका के आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर बालिका को योजना का लाभ दिये जाने के निर्देश दिये गये है । योजना के नवीन स्वरुप अनुसार अब पात्र बालिका को लाभ दिये जाने हेतु आंगनवाडी कार्यकर्ता पर निर्भरता आवश्यक नहीं है। हितग्राही स्वयं सीधे ऑनलाईन आवेदन कर सकता है या लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है । संदर्भित पत्र दिनांक 25.10.2016 द्वारा परिवार में जन्म लेने वाली पात्र प्रथम बालिका हितग्राही का जन्म संबंधित परियोजना की संस्था (चिकित्सालय) में होने की स्थिति में चिकित्सालय छोड़ने के पूर्व ही हितग्राही को ई–लाडली प्रमाणपत्र प्रदाय करने के निर्देश प्रसारित किये गये है । अतः बालिका के जन्म पर ही शासकीय जिला चिकित्सालय में ही हितग्राही बालिका से संबंधित पूर्ण जानकारी संकलित करवाते हुए बालिका का योजना में पंजीकरण किया जाना आवश्यक है ताकि संस्थागत प्रसव की स्थिति में पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे। इस हेतु प्रथम चरण में संभाग स्तरीय जिला चिकित्सालयों में स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से "लाडली हेल्प–डेस्क" स्थापित की जावे –

1. जिला चिकित्सालय में स्थापित लाडली हेल्प – डेस्क के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग से एक अधिकारी/कर्मचारी को कार्यदायित्व सौंपा जावे।
2. अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व होगा कि वह प्रतिदिन जिला चिकित्सालय में विजिट कर प्रसूति महिला / जन्मी बालिका की अद्यतन स्थिति ज्ञात करेगें।

3. डेस्क हेतु नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारी संभावित लाडली के परिवार की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लाडली लक्ष्मी योजना की शर्तो/ प्रावधानों की जानकारी परिवार को देगें।

4. हितग्राही परिवार को योजना की पूर्ण जानकारी देते हुए आवश्यक दस्तावेज (मूलनिवासी प्रमाणपत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, परिवार नियोजन प्रमाणपत्र यदि आवश्यक हो तो) संकलित करने में परिवार का सहयोग करेंगें एवं लाडली लक्ष्मी योजना हेतु आवेदनपत्र भरावेंगे।

5. जिला चिकित्सालय में बालिका के जन्म की स्थिति में डेस्क हेतु नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी पात्र बालिका का आवेदन पूर्ण करवाते हुए ऑनलाईन पंजीयन कर संबधित परियोजना कार्यालय को सूचित करेगें।

6. यदि लाडली(पात्र बालिका) मुख्यालय परियोजना की हितग्राही है तो ई–प्रमाण पत्र संस्था(चिकित्सालय) में ही प्रदाय किया जावेगा। अन्य जिले या परियोजना की निवासी होने की स्थिति में हेल्प–डेस्क द्वारा संबधित परियोजना या जिले को प्रकरण के बारे में अवगत कराया जावेगा तत्पश्चात संबधित परियोजना द्वारा ई–प्रमाण पत्र प्रदाय किये जावेगें।

7. "लाडली हेल्प–डेस्क" में एक पंजी संधारित की जावेगी, जिसमें प्रसूता से संबंधित पूर्ण जानकारी (नाम, पता, मोबाईल नम्बर आदि) दर्ज की जाये। साथ ही बालिका के संभावित नामों की जानकारी भी प्रसूता व उसके परिवार को उपलब्ध करायी जाये ताकि जन्म प्रमाणपत्र में तथा लाडली सर्टिफिकेट में बालिका का स्थायी नाम दर्ज हो सके। इस हेतु हिन्दी वर्णमाला से प्रारम्भ होने वाले नामों की सूची आपकों उपलब्ध कराई जा रही है । नामों की सूची को चिकित्सालय के जच्चा-वार्ड एवं महिला सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में भी प्रदर्शित की जावें।

उपरोक्तानुसार "लाडली हेल्प–डेस्क" की स्थापना यथाशीघ्र माह जनवरी 2017 से प्रारंभ की जाना सुनिश्चित किया जावे।

23/1/16

(जे.एन. कांसोटिया)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ.क. /प्रस/मबावि/2016–17 4133 भोपाल, दिनांक 28/12/2016

प्रतिलिपिः–

1 विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्री जी महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल।

2 आयुक्त, महिला सशक्तिकरण/एकीकृत बाल विकास सेवा, भोपाल।

3 संभागायुक्त, संभाग समस्त, म0प्र0 ।

4 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–समस्त, म.प्र.।

प्रमुख सचिव, 28/12/16
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग